Title: Regarding Provision for One Extra Mercy attempt to 1 year students of MBBS (for year 2019-21) in view of COVID Pandemic.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान एमबीबीएस वर्ष 2019-20 बैच के छात्र- छात्राओ की माँग की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि एनएमसी ने एमबीबीएस पास करने के लिए 4 अवसर और 4 साल में पास करने का नियम लागू किया, जबकि उक्त प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, चारों अवसर एक ही वर्ष में करवा दिए ।

सीबीएमई और न्यू स्कीम रूल एनएमसी द्वारा लागू किए गये, जिसमें एग्जाम पैटर्न को ही बदल दिया गया । राजस्थान सहित देश के लगभग दो हज़ार छात्रों के भविष्य का सवाल है और ऐसे छात्रों के चारों अटैम्प्ट, जो प्रथम वर्ष पास करने के लिए मिलते हैं, वे पूरे हो गये । चूँकि कोरोना काल था, पूरा देश विकट हालात से गुजर रहा था और निश्चित तौर पर इन छात्रों के परिवार में कोई न कोई कोरोना से प्रभावित हुआ था ।

चूँकि कोरोना के कारण बीएएमएस, बीएचएमएस आदि कोर्स में अध्यनरत छात्रों को अतिरिक्त अवसर दे दिया गया लेकिन एमबीबीएस के छात्रों हेतु अतिरिक्त मर्सी अटैम्प्ट नहीं दिया जा रहा है जो न्याय संगत नही है ।

महोदय, इस माँग को लेकर छात्र-छात्राएं लगातार एनएमसी के संपर्क में है । आपके और आपके कार्यालय के संज्ञान में भी यह मामला पहले से लाया जा चुका है । इसलिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि वर्ष 2019-20 बैच के प्रथम वर्ष के एमबीबीएस छात्र जिनके बैक, सप्लीमेंट्री अथवा किसी कारणवश वे फेल हो गये हैं तो कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए आप एनएमसी को निर्देशित करके ऐसे छात्रों हेतु एक अतिरिक्त मर्सी अटैम्प्ट दिया जाए ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नही हो । चूँकि ऐसे सभी छात्र अवसाद में हैं और कोरोना के कारण एक वर्ष में ही चार अवसर मिल जाने के कारण इन्हें उचित समय भी नही मिला इसलिए आप छात्र-छात्राओं की भावनाओं को समझें और तत्काल निर्णय लें । साथ ही आप देश की सभी मेडिकल कॉलेजों में यह निर्देश भी जारी करें कि ऐसे छात्रों को कॉलेज से बाहर नही निकालें । यह देश का बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ।